फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

जानी देवी

बनाम

नगर विकास न्यास, बीकानेर वगैरह।

केस्म मुकदमा : 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्या 12/2023

GCMS No. 2023/18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.06.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर के आदेश दिनांक नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को सही एवं उचित मानते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सक्षम पक्षकार होने का निवेदन किया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट को हितबंद्ध पक्षकार मानते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट जानीदेवी पत्नी सोम प्रकाश के नाम ग्राम पंचायत उदासर का पट्टा संख्या 392 दिनांक 14.05.1998 जारी किया जा चुका है। जिस पर अपीलांट आज दिनांक तक कब्जा है। अपीलांट को ग्राम पंचायत उदासर ने विधि प्रावधानों का पालन कर विधिवत्त पट्टा जारी किया गया है। नगर विकास न्यास बीकानेर के कर्मचारी दिनांक 22.11.2022 को वादग्रस्थ भूमि पर आये और कहने लगे कि उक्त भूमि न्यास की है। नगर विकास न्यास बीकानेर के कर्मचारी ने उक्त भूमि से कब्जा हटाने की धमकी दी। नगर विकास न्यास बीकानेर जाकर पूछताछ की तब मालूम हुआ कि अपीलांट की पट्टेशुदा आवासीय भूमि का तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 द्वारा नगर विकास न्यास बीकानेर के नाम दर्ज कर दिया। तहसीलदार राजस्व बीकानेर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 8	

संभागीय आयुक्त बीकानेर

दिनांक 26.09.2011 को जारी करने से पूर्व अपीलांट का सुनवाई का अवसर नहीं दिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 8 अपीलांट को बिना सुने दर्ज किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर का आदेश दिनांक 26.09.2011 को खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक श्री मोहम्मद इम्तियाज अली ने दौराने बहस कथन किया कि तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर का अपीलांधीन आदेश उचित प्रतित होता है परन्तु अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो न्यायोचित होता।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्री वेणुराज गोपाल पुरोहित ने पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से उपस्थित होकर शीघ्र वकालतनामा प्रस्तुत करने का कहां परन्तु आज दिनांक तक उनकी और से वकालतनामा प्रस्तुत नही हुआ।

हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस एवं अपील मीमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही जारी हुआ है। अतः तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर के अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 8 दिनांक 26.09.2011 को ग्राम पंचायत उदासर द्वारा जारी पट्टा संख्या 392 दिनांक 14.05.1998 की हद तक निरस्त कर अपील अपीलांट इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि तहसीलदार(भू.अ) बीकानेर प्रकरण में सभी पक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर